-7-

9-65/2013

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
–: आदेश :–

14-05-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–65/2013 में आवेदक **श्री राजेश खलीफा,** पिता–स्व0 उमर खलीफा, सा0–बेऊर, मिश्र मंडल कॉलोनी, फेज–II, पो0–अनिसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/ पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–14.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि जक्कनपुर थाना, पटना में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। नौकरी के दौरान कई थानों में उग्रवादी/ अपराधियों को जेल भेजने के कारण असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहता है। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–526/गो0, दिनांक–03.04.2013 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ के माध्यम से जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, बेऊर के मंतव्य से सहमत होते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन मूल में अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, बेऊर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नौकरी के दौरान कई थानों में उग्रवादी, अपराधियों को जेल भेजने के कारण अपराधियों से खतरा बना रहता है। जान–माल की सुरक्षा हेतु आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। आवेदक के अनुज्ञप्ति आवेदन पर विचार कर जान–माल की सुरक्षा हेतु आवेदक को एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री राजेश खलीफा,** पिता–स्व0 उमर खलिफा, सा0–बेऊर, मिश्र मंडल कॉलोनी, फेज–II, पो0–अनिसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

-9- 9-65/2019

श्री खलीफा को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- 14/5/19

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ह०/- 14/5/19

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।